

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

संजय कुमार सिंह

५१

नीतु देवी एवं अन्न

आदेश पत्रक ता०- 11.12.2024 से

तक

जिला- बोकारो

केश सं०- 25 / 2024-25

केश का प्रकार- विविध वाद

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11/12/2024	आवेदक- संजय कुमार सिंह, पिता- स्व० कामेश्वर प्रसाद सिंह, सा०- जलौघ, पो०+थाना- ईचाक, जिला- हजारीबाग के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि मौजा- हुरलुंग अंतर्गत खाता सं०- 02, प्लॉट सं०- 224, 920, 2141, कुल रकबा- 2.69 एकड़ भूमि उनके पूर्वज कुंवर रामईयाद सिंह का वकाशत भूमि है। उपरोक्त भूमि को हुरलुंग की जनता के लिए उनके पूर्वज के द्वारा सप्ताहिक हाट-बाजार दिया गया है, जिसे ग्रामीणों के द्वारा सप्ताहिक हाट बाजार लगाते आ रहे हैं। विगत दिनों से निखिल कुमार सिंह, पिता- स्व० गिरजा सिंह एवं हिरदा देवी, पति- स्व० तुलसी सिंह के द्वारा एक सोची समझी सुनियोजित योजना बनाकर 1. नीतु देवी, पति- निखिल कुमार सिंह, 2. सुषमा देवी, पति- अजय कुमार सिंह एवं 3. कंचन देवी, पति- प्रवीन कुमार सिंह, ग्राम+पो०- हुरलुंग, थाना- चतरोचट्टी, जिला- बोकारो के साथ मिलकर षडयंत्र करके उपरोक्त जमीन का मालिकाना हक नहीं रहने के बावजूद एक जाली वंशावली बनाकर गलत तरीके से उपरोक्त जमीन को खरीद-बिक्री किये हैं। निखिल कुमार सिंह एवं हिरदा देवी उनके पूर्वज कुंवर रामईयाद सिंह का वंशज नहीं हैं। अंत में उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन का दाखिल-खारीज रोकने तथा वंशावली की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक- 27/12/2024 को रखें।  11-12-24 अंचल अधिकारी, गोमिया।	10/9/2024 14/12/24

27/12/2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अजिंक्य एवं भूमि से संबंधित कागजात दर्ज किया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से अजिंक्य की तारीखें एवं भूमि से संबंधित कागजात सत्यापित किया गया है।

प्रथम पक्ष की ओर संजय कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि प्रथम पक्ष भूमि विपक्षी नील देवी एवं शम्भू के द्वारा गलत वंशावली बनाकर उक्त भूमि को बिक्री कर रहे हैं। प्रथम पक्ष भूमि का स्वामित्व लेकर अमिताभ सिंह के नाम पर खरीदें हैं, और विपक्षी उम्मेदवार सिंह के नाम पर वंशावली बनाकर बेच रहे हैं।

विपक्षी की ओर से सुष्मा देवी के द्वारा अभिलेख कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि खेत सं. - 3 जो बाजो सिंह के नाम पर आया हुआ है। ~~प्रथम पक्ष के द्वारा खेत सं. - 2, प्लॉट सं. - 244, 920 एवं 2440 कुल रकबा - 269 बी० उनके प्रवेज से उन्हें मिला है। उनके साक्ष्य के रूप में केवला / राजारव कागजात की हस्ताक्षर उपलब्ध आया गया है।~~

द्वितीय पक्षों को सुना जाया।

तारीख और

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गयी कार्यवाही
के बारे में टिप्पणी तारीख
सहित

वाद की सुनवाई जारी है। अगिलेख
दिनांक - 06/01/2025 के रखे।

अंचल अधिकारी

06/01/2025

07/01/2025

सार्वजनिक शवकाश घोषित हो जाने
के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो
सका। अगिलेख दिनांक - 12/01/2025
के रखे।

अंचल अधिकारी

17/01/2025

आवेदन की ओर से शजिरी दी
गई है डिमीट पत्र की ओर से
निरिकल हुआ। फाई के आगे Authentication
के संबंधित प्रपत्र पर से शजिरी दी गई
है।

अपोहनशील शवकाश के कारण
रहने के कारण न्यायालय कार्य नहीं
हो सका। रिट पर 31/01/2025

अंचल अधिकारी

आदेश क्रम संख्या और
तारीख

31/01/2025

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उभय पक्षों से और से हाजिरी की
जई है दोनों पक्षों का सुना गया।
अभिलेख आदेश न रखा।

अंचल अधिकारी

01/02/2025

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक राजेश
कुमार सिंह S/O स्व० कपिलेश्वर प्रसाद
सिंह, सा० - जलौष, पो० - ईन्चाम, थाना -
ईन्चाम, जिला अजमेर के द्वारा गौबिन्दा
अंचल अन्तर्गत मौजा डुरलुंग के खाता सं-2
टलॉट सं- 224, 920, 241 कुल रकबा
2.69 एकड़ भूमि के दायवत-खातीज रोमने
हुए अनुमोदित किया गया था।

आ संबंध में दायवत-खातीज वाद
सं० - 353/2024 का ऑन लाईन
जांच किया, जिससे ज्ञात हुआ कि इन
दायवत खातीज वाद को राजेश्वर इन्फिनिटी
एव अंचल निरीक्षक के परिनिदेश के आधार
पर दिनांक - 02/12/2024 को ही अधोमार्ग
के द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है।
ऐसी स्थिति में उक्त वाद का आगे किसी
भी तरह का विचार किया जाने कोई
होत आधार नहीं है।

आदेश पर की
गई कार्रवाई
के बारे में
टिप्पणी तारीख
के साथ
3

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

वर्तित परीक्षित में बाद से कार्यवाही की
रखना किया जाता है।

लेखापत्र एवं संशोधन।

1.2.24

अंचल अधिकारी
गोमिया।

1.2.24

अंचल अधिकारी
गोमिया।